पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन
(भाग - 9, अनुच्छेद - 243 - 243 ण तक)

* भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन माने जाते है।

* राजस्थान में प्रथम पंचायत कानून बीकानेर रियासत में महाराजा गंगासिंह ने 1928 में बनाया था।
* भाग-4 में अनु.-40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है।

* पंचायती राज राज्यसूची का विषय है।

* राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम 1953 में बना था।
* केन्द्र सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरु किया था।
* जन. 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा/परीक्षण करने के लिए केन्द्र सरकार "बलवन्त राय मेहता समिति" का गठन किया था।
* नव. 1957 में बलवंतराय मेहता समिति ने पंचायती राज की "त्रिस्तरीय व्यवस्था" को लागू करने का सुझाव दिया था तथा निम्न 3 स्तर बताये →

1. ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायत
2. खण्ड स्तर पर - पंचायत समिति
3. जिला स्तर पर - जिला परिषद

* इसे प्रयोगिक तौर पर आंध्रप्रदेश राज्य के कुछ स्थानों पर लागू करके देखा गया।
* 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बंगदरी गाँव से प्रधानमंत्री पंडित नेहरु ने पंचायतराज का शुभारंभ किया।
* इसे लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य "राजस्थान" था जबकि दूसरा राज्य "आंध्रप्रदेश" था।
* पूरे राज्य में इसे एक साथ लागू करने वाला प्रथम राज्य "आंध्रप्रदेश" था।

* 73 वॉ संशोधन 1992 ⇒

यह 1992 में पारित हुआ था तथा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न है →

1. इसके द्वारा पंचायत राज को "संवैधानिक दर्जा" दिया गया अर्थात इसके प्रावधान संविधान में किये गये।
2. इसके द्वारा संविधान के भाग-9 में अनु. 243-243ण तक 'पंचायती राज' के प्रावधान किये गये।
3. इसके द्वारा 11 वीं अनुसूची बनाई गई। इसमें 29 विषय है।
4. इसके द्वारा अनु. 243 (क) में ग्रामसभा का प्रावधान किया गया।
5. इसके द्वारा अनु 243 (घ) में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को एक तिहाई (1/3) सीटों का आरक्षण किया गया।
6. इसके द्वारा अनु. 243 (ट) में 'राज्य निर्वाचन आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया।
7. इसके द्वारा अनु - 243 (झ) में 'राज्य वित्त आयोग' के गठन किया गया।

* 73 वे संशोधन के प्रावधानों को प्रत्येक राज्य के द्वारा एक वर्ष के भीतर लागू करने का प्रावधान किया गया था।

* 73 वे संशोधन को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक था। जबकि इसके अनुसार चुनाव करवानेवाला प्रथम राज्य मध्यप्रदेश था।

☆ राजस्थान, पंचायती, राज अधिनियम, 1994 ☆

* यह 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था।
* इसके द्वारा 73 वें संशोधन के प्रावधानों को राज्य में लागू किया गया।
☆* वर्तमान में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का गठन व संचालन इसी अधिनियम के अंतर्गत हो रहा है।

☆ ग्राम, पंचायत ☆

(11316)

* ग्राम स्तर पर न्यूनतम 3000 की जनसंख्या पर एक ग्रामपंचायत का गठन किया जाता है। जिसमे कम से कम 9 वार्ड होते है परन्तु 3000 से अधिक की जनसंख्या होने पर प्रत्येक 1000 पर 2 अतिरिक्त वार्ड बना लिये जाते है।

* ग्राम पंचायत का गठन एक सरपंच + उपसरपंच + वार्ड पंचों से मिलकर होता है।
* सरपंच व वार्डपंचों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है
* उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा वार्डपंच + सरपंच मिलकर वार्ड पंचों में किसी एक को उपसरपंच चुनते है।

* उपसरपंच के चुनाव में दो उम्मीदवारों के बराबर मत आने पर सरपंच निर्णायक मत देता है।
☆* ग्राम पंचायत एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता।
* इसकी 15 दिन में एक बैठक अनिवार्य है।

☆* ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) इसका सरकारी प्रतिनिधि होता है।
* ग्राम पंचायत "पंचायती राज" की सबसे छोटी एवं सबसे शक्तिशाली संस्था है।

★ पंचायत समिति ★ (295) 352

* खण्ड स्तर पर न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर इसका गठन किया जाता है, इसमे कम से कम 15 सदस्य परन्तु 1 लाख से अधिक की जनसंख्या होने प्रत्येक 15000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुन लिये जाते है।

* इसका गठन एक प्रधान + एक उपप्रधान + पंचायत समिति सदस्यों से मिलकर होता है।

* पंचायती समिति के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रधान व उपप्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तथा पंचायत समिति के सदस्य मिलकर अपने में से एक को प्रधान व एक को उपप्रधान चुनते है।

* पंचायती समिति क्षेत्र का विधायक एवं सभी सरपंच इसके पदेन सदस्य होते है।
* इसकी एक माह में एक बैठक अनिवार्य है।

* खण्ड विकास अधिकारी (BDO) इसका सरकारी प्रतिनिधि होता है।

★ जिला परिषद ★ (33)

* जिला स्तर पर न्यूनतम 4 लाख की जनसंख्या पर एक जिला परिषद होती है। जिसमे कमसेकम 17 सदस्य होते है परन्तु 4 लाख से अधिक की जनसंख्या होने पर प्रत्येक 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्य चुन लिये जाते है।

* इसका गठन एक जिलाप्रमुख + एक उपजिलाप्रमुख + जिला परिषद के सदस्यों से मिलकर होता है।

* जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जिला प्रमुख व उपजिलाप्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तथा जिला परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जाता है।

* जिले का लोकसभा सदस्य + जिले के सभी राज्यसभा सदस्य, जिले के सभी विधायक + सभी प्रधान इसके पदेन सदस्य होते है।
* इसकी 3 माह में 1 बैठक होना अनिवार्य है।

* मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इसका सरकारी प्रतिनिधि होता है।

* योग्यताएं → (तीनों संस्थाओं के लिए)

* 21 वर्ष की आयु प्राप्त हो।
* 21 नव. 1995 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हो।
* उस क्षेत्र का निवासी हो अर्थात् उसे क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम हो।

* कार्यकाल :→ तीनों स्तर की संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

* पद से हटाने की प्रक्रिया :→

* इन संस्थाओं के अध्यक्ष + उपाध्यक्षों को पद से इन संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा $\frac{3}{4}$ बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है।

* अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 2 वर्ष पश्चात् ही लाया जा सकता है।

भारत में पंचायत राज की सबसे छोटी संस्था – ग्राम पंचायत (चुनाव होता है)
इकाई – ग्राम सभा (बैठक का नाम)

और यदि पारित नहीं होता है तो दोबारा से इसके 1 वर्ष पश्चात ही लाया जा सकता है।

* चुनाव से 6 माह पहले से नहीं लाया जा सकता है तथा एक कार्यकाल में अधिकतम 3 बार लाया जा सकता है।

* त्यागपत्र व शपथ :->

क्र.सं	पदाधिकारी	जिसे त्यागपत्र दिया जाता है।	जो शपथ दिलाता है
1.	सरपंच, उपसरपंच एवं वार्ड पंच	खण्ड विकास अधिकारी (BDO)	पीठासीन अधिकारी
2.	प्रधान	जिला प्रमुख	जिला कलेक्टर
3.	उपप्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य	प्रधान	जिला कलेक्टर
4.	जिला प्रमुख	संभागीय आयुक्त	जिला कलेक्टर
5.	उप जिला प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य	जिला प्रमुख	जिला कलेक्टर

☆ ग्रामसभा (अनु. 243 (क)) ☆

* ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच द्वारा वर्ष में 4 बार तथा अनिवार्य रूप से 2 बार ग्राम सभा की बैठके बुलाने का प्रावधान है।

* इसकी बैठके 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर की तारीखों के 15 दिन के भीतर बुलाने का प्रावधान है।

* इसकी बैठकों में ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता भाग लेते है।
* इसकी गणपूर्ति $\frac{1}{10}$ या 10% होती है।
* इसकी बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है तथा सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच करता है। वहीं दोनों की अनुपस्थिति ग्राम सभा के सदस्य स्वयं अपना अध्यक्ष चुनते है।

* ग्राम सभा के प्रमुख कार्य निम्न है →

1. यह ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है।
2. यह ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है।
3. यह ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास + समस्याओं पर चर्चा करती है।
4. यह मनरेगा के कार्यों का सामाजिक (जांच) अंकेक्षण करती है।

Note → भारत में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई – ग्रामसभा तथा राजस्थान में सबसे छोटी इकाई – वार्डसभा है।

☆ वार्डसभा ☆

* वार्डसभा का प्रावधान 73 वें संशोधन में नहीं है अपितु "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994" में किया गया है।

* वार्ड सभा की बैठके वार्ड पंच के द्वारा बुलाई जाती है इसमें वार्ड के सभी मतदाता भाग लेते है। तथा वार्ड के विकास + विकास पर चर्चा करते है।

☆ आरक्षण (अनु. 243 (घ)) ☆

* पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति (SC) व जनजाति (ST)

को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया गया है।
* अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 21% सीटों का आरक्षण दिया गया है।
* महिलाओं को अपने वर्ग की कुल सीटों में से एक तिहाई ($\frac{1}{3}$) सीटों का आरक्षण दिया गया है।
* पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम में किया गया है।

★ राज्य निर्वाचन आयोग (अनु. 243 (ट)) ★

* इसका गठन जुलाई 1994 में हुआ है।
* इसमें एक राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है।
* इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
* इसका कार्यकाल 5 वर्ष / 65 वर्ष आयु होता है।
* इसे पद से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान संसद महाभियोग के द्वारा हटा सकती है।
* त्यागपत्र – राज्यपाल को
* इसका कार्य पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के चुनाव करवाना है।
* वर्तमान में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त – ~~प्रेमसिंह मेहरा~~ है। अशोक कुमार जैन

★ राज्य वित्त आयोग [अनु. 243 (झ)] ★

* इसका गठन राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है।
* इसमें 1+4=5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
* इनको पद से भी राज्यपाल हटाता है।

* प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1995 मे हुआ था। इसके अध्यक्ष के. के. गोयल थे।

* वर्तमान में पाँचवा राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। इसकी अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण शुक्ला है।

* इसका कार्य पंचायती राज संस्थाओ एंव नगर निकायो के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, धन एंव कर आदि लगाने की सलाह राज्यपाल को देना है।

* महत्वपूर्ण तथ्य :->

* भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता माने जाते है

* आधुनिक भारत पंचायती राज के सूत्रधार प्रधानमंत्री राजीव गांधी एंव पी.वी नरसिम्हा राव माने जाते है।

* राजस्थान में पंचायती राज के सूत्रधार भगवत सिंह मेहता माने जाते है।

* राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज पर गठित प्रमुख समितियाँ निम्न है ->

1. सादिक अली समिति 1964 ->
2. गिरधारी लाल व्यास समिति 1973
3. हरलाल खर्रा समिति 1990
4. गुलाबचंद कटारिया समिति 2006

केन्द्र सरकार

* 1. अशोक मेहता समिति 1977 -> केन्द्र सरकार के द्वारा इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करके द्विस्तरीय व्यवस्था को लागू करने एंव ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सलाह दी थी।

2. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 → केन्द्र सरकार के द्वारा गठित इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने, इसमे महिलाओ को आरक्षण देने, तथा राज्य निर्वाचन एव राज्य वित्त आयोग का गठन करने की सलाह दी थी।
★ इसी की सलाह के आधार पर 73 वाँसंशोधन पारित किया गया था।

★ नगर निकाय या नगरीय स्थानीय स्वशासन ★

[भाग-9 (क), अनुच्छेद-243 (त) - 243 (य) (छ) तक]

* भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन के जनक लार्ड रिपन माने जाते है।
* भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास नगरपालिका बनी थी।
* 1793 में मद्रास, कलकत्ता व मुम्बई में नगर निगमो का गठन हुआ।
★* 1864 में राज्य में माउण्ट आबु में ★प्रथम नगरपालिका बनी।
* 1866 में अजमेर में, व 1867 में ब्यावर में नगरपालिका बनी।
* प्रथम निर्वाचित नगरपालिका ★ब्यावर थी।
* नगर निकाय राज्यसूची का विषय है।
* राज्य में प्रथम नगरपालिका अधिनियम 1951 में बना था। इसे 1959 में समाप्त करके नया नगर पालिका अधिनियम बनाया गया।

★ 74वाँ संशोधन, 1992 ★

* यह 1992 में पारित हुआ था। तथा 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न है →

* इसके द्वारा नगरनिकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

* इसके द्वारा भाग-9 क में अनुच्छेद 243(त) - 243 य छ तक नगर निकायों के प्रावधान किये।
* इसके द्वारा 12 वीं अनुसूची बनाई गयी, इसमें 18 विषय है।
* इसके द्वारा नगरनिकायों में महिलाओं को $\frac{1}{3}$ एक तिहाई आरक्षण दिया गया।
* इसके द्वारा अनुच्छेद 243 (ट) में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।
* इसके द्वारा अनुच्छेद 243 (झ) में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया।

★ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1994 ★

* यह 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ है।
* इसके द्वारा 74 वें संशोधन के प्रावधानों को राज्य में लागू किया गया है।

* वर्तमान में राज्य में नगर निकायों का गठन + संचालन इसी अधिनियम के अंतर्गत हो रहा है।

★ नगर निगम ★

* इसका गठन 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में किया जाता है।

* इसका गठन महापौर + उपमहापौर + वार्ड पार्षदों से मिलकर होता है।
* वार्ड पार्षदों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है।
* महापौर व उपमहापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा वार्ड पार्षदों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है।

* महापौर + उपमहापौर + वार्ड पार्षदों को शपथ 'जिला कलक्टर' दिलाता है।
* महापौर व उपमहापौर त्यागपत्र 'संभागीय आयुक्त' को देते है।
* वार्ड पार्षद त्यागपत्र 'महापौर' को देते है।

* आयुक्त (कमीश्नर) इसका सरकारी अधिकारी होता है।

* वर्तमान में राज्य में निम्न 9 नगर निगम है →

क्र.स.		नाम		गठन वर्ष	
1.	–	जयपुर	–	1992	2 निगम
2.	–	जोधपुर	–	1992	2 निगम
3.	–	कोटा	–	1993	2 निगम
4.	–	बीकानेर	–	2008	
5.	–	अजमेर	–	2008	
6.	–	उदयपुर	–	2014	
7.	–	भरतपुर	–	2014	

☆ नगर परिषद ☆

* इसका गठन 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में होता है।
* इसका गठन सभापति + उपसभापति + वार्ड पार्षदों से मिलकर होता है।

* ~~वार्ड~~ पार्षदों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
* सभापति + उपसभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा वार्ड पार्षदों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है।

* सभापति + उपसभापति + वार्ड पार्षदों को शपथ जिलाकलक्टर दिलाता है।
* सभापति व उपसभापति त्यागपत्र जिलाकलक्टर को देते है।
* वार्ड पार्षद त्यागपत्र सभापति को देते है।

* मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इसका सरकारी अधिकारी होता है।
* सर्वाधिक दो नगर परिषदे 'अजमेर' जिले में है।

☆ नगर - पालिका ☆

* इसका गठन 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में होता है।
* इसका गठन अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + वार्ड पार्षदों से मिलकर होता है।
* वार्ड पार्षदों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है।
* अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तथा वार्ड पार्षदों द्वारा अपने में से ही किया जाता है।

* अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व वार्डपार्षदों को शपथ जिलाकलक्टर दिलाता है।
* अध्यक्ष व उपाध्यक्ष त्यागपत्र जिलाकलक्टर को देते है।
* वार्ड पार्षद त्यागपत्र अध्यक्ष को देते है।

* राज्य में सर्वाधिक नगर पालिकाएं – 11 (झुंझुनूं जिले में है)
* राज्य में सर्वाधिक 12 नगर निकाय – झुंझुनूं जिले में है। (11 नगर पालिका + 1 नगर परिषद)

* अधिशासी अधिकारी (EO) इसका सरकारी अधिकारी होता है।
* एक नगर पालिका में कम से कम 13 वार्ड होते है तथा कम से कम 18 सदस्य होते है। अर्थात प्रत्येक नगर निकाय में 5 सदस्य मनोनित / सहवरित होते है।

Note → नगर निकायो का सदस्य बनने की योग्यताऐं, कार्यकाल एवं पद से हटाने की प्रक्रिया पंचायती राज के समान है।

* जिला आयोजना समिति *

[अनुच्छेद 243 थ ध Z D]

* इसका अध्यक्ष जिलाप्रमुख होता है।
* इसमे 25 सदस्य होते है। इसमे 20 निर्वाचित व 5 मनोनित होते है।
* जिलाकलक्टर इसका सदस्य + सचिव होता है।
* इसका कार्य जिले की सभी संस्थाओं के विकास की समेकित / ऐसा योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजना होता है।
*

* पंथनिरपेक्षता / धर्मनिरपेक्षता *

* भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता / पंथनिरपेक्षता को एक ही अर्थ में लिया गया है। तथा इससे तात्पर्य निम्नलिखित है

→
1. देश का या शासन को अपना कोई एक धर्म नही होगा।
2. देश / शासन की दृष्टि में सब धर्म समान होंगे।

पहली बार – कश्मीर में आंतकवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बल विशेष परिचालन प्रभाग (AFSOD) के तहत नौसेना के मरीन कमांडो (मार्कोस), वायु सेना के (गरुड़) व कश्मीर घाटी में सेना के पैरा (विशेष) तैनात किया गया है।

Date ______ Page ______

3. देश / शासन सब धर्मों के समान कल्याण पर बल देगा।
4. सभी को अंतःकरण / अपनी इच्छानुसार धर्म को अपनाने / स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।
5. सभी को धर्म को मानने व इसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
6. सभी को धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

☆ सामाजिक न्याय ☆

* भारत के संविधान में प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में एवं अन्य अनेक प्रावधानों में सामाजिक न्याय की अवधारणा को अपनाया गया है।

* सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि "सभी को समानता का दर्जा प्राप्त होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा"।

* राज्य सभी व्यक्तियों एवं वर्गों का समान रूप से कल्याण करेगा। एवं गरीब तथा निर्धन वर्गों के कल्याण पर / विशेष बल देगा।

* नगर निगम भरतपुर में – पहली बार कांग्रेस का महापौर
* नगर पालिका सांगोद में सबसे युवा अध्यक्ष (कविता सुमन)
* उदयपुर नगर निगम – गोविंद टांक (भाजपा)
* भरतपुर नगर निगम – अभिजीत (कांग्रेस)
* बीकानेर नगर निगम – सुशीला (भाजपा)